न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 16/21 जी.सी.एम.एस. 2021/00036 दिनांक 16.04.2021

1. ललित कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति तेली।
2. अंजली पुत्री अशोक कुमार जाति तेली।
3. उमा देवी पुत्री अशोक कुमार जाति तेली।
4. लक्ष्मीरानी पुत्री अशोक कुमार जाति तेली।
5. अनितारानी पत्नि अशोक कुमार जाति तेली निवासीगण कनवास।
6. हेमत राठौर पुत्र मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली।
7. नवीन राठौर पुत्र मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली।
8. सुनील राठैर पुत्र मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली।
9. सोनू बाई पुत्री मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली।
10. मोनूबाई पुत्री मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली समस्त निवासीगण कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।
11. मंजूबाई पुत्री रामनारायण (पत्नि चतुर्भुज)जाति तेली निवासी कनवास हाल निवास चेचट तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट इन्द्राज दुरूस्त किये जाने नाम बाबत</u>

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

निर्णय

वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट के खसरा संख्या 523 की 1.40 है0, आराजी स्थित है। जिसके सेटलमेंट सम्वत 2058 के पूर्व गत खसरा नबंर 272 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा दर्ज थे, जिसमें 1/4 हिस्सा प्रहलाद पुत्र सीताराम जाति तेली व कन्याबाई बेवा सीताराम जाति तेली निवासी धूलेट के दर्ज था, तथा 3/4 हिस्सा राधोश्याम , बद्रीलाल, केदारलाल, व सीताबाई पिसरान कान्हा तेली निवासी धूलेट के दर्ज था, प्रहलाद व कन्याबाई ने उनका सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.03.2002 को रामनारायण आत्मज खूबचंद तेली निवासी कनवास को विक्रय कर दिया, जिसका नामान्तरण संख्या 1072 रामनारायण के नाम दर्ज हुआ, इसी प्रकार राधेश्याम , बद्रीलाल , केदारलाल, सीताबाई, का निहित 3/4 हिस्सा में राधेश्याम, बद्रीलाल, केदारलाल, द्वारा

उपखण्ड अधि...
कनवास जिला कोटा (राज0)

सीताबाई के पक्ष में दिनांक 14.03.2002 को रिलीज डीड के द्वारा , रिलीज कर दिया गया, जिसका नामान्तरण संख्या 1073 सीताबाई पुत्री कान्हा जाति तेली के नाम दर्ज हुआ। सीताबाई व रामनारायण दोनों पति पत्नि हैं, दोनों का स्वर्गवास होने से उनका फोतीइन्तकाल उनके सजरे के मुताबिक उनके तीनों वारिस अशोक कुमार (पुत्र), द्वारकीबाई (पुत्री), मंजूबाई (पुत्री) के नाम दर्ज हुआ। परन्तु सहवन से अशोक कुमार, द्वारकीबाई, मंजुबाई के पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर कान्हा दर्ज हो गया, जबकि सही नाम अशोक कुमार, द्वारकीबाई, मंजूबाई पिसरान रामनारायण जाति तेली निवासी कनवास दर्ज होना चाहिये था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में इन तीनों अशोक कुमार, द्वारकीबाई, मन्जुबाई के पिता का नाम कान्हा ही चला आ रहा है। अभी कोरोना कॉल में अशोक कुमार व द्वारकीबाई दोनों फोत हो गये हैं, अशोक कुमार के वारिसान वादीगण 01 लगायत 05 हैं, तथा द्वारकीबाई के वारिसान वादी नबंर 06 लगायत 10 है, अशोक कुमार व द्वारकीबाई के फोत होने पर जब उनके वारिसान वादीगण 01 लगायत 10 अपने नाम फोती नामान्तरण दर्ज करवाने गये तो उक्त त्रृटि का पता चला। इसलिये वादीगण द्वारा यह वाद अशोक कुमार , द्वारकीबाई व मंजुबाई के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में कान्हा के स्थान पर रामनारायण दर्ज कराने हेतु एवं अशोक कुमार पुत्र रामनारायण के फोत होने पर उसके स्थान पर वादी नबंर 01 ललित कुमार वादी नबंर 02 अंजलि, वादीनबंर 03 उमा देवी वादी नबंर 04 लक्ष्मीरानी व वादी नबंर 05 अनितारानी का नाम दर्ज किये जाने एवं द्वारकीबाई के फोत होने पर उसके स्थान पर उसके वारिसान वादी नबंर 06 लगायत 10 हेमन्त, नवीन, सुनील, सोनुबाई, मोनुबाई का नाम दर्ज कर उन्हे खातेदार घोषित किये जाने हेतु 01 प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर जवाब हेतु सरकार की ओर से प्रतिवादी तहसीलदार कनवास की तलवी जारी की गई, तहसीलदार कनवास द्वारा 16.04.2021 को जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति जाहिर न की गई व निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं है।

वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में वादी नबरं 01 ललित कुमार का शपथ–पत्र पेश किया गया, व अशोक कुमार व द्वारकीबाई का मुत्यु पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, अशोक कुमार व द्वारकीबाई के आधार कार्ड की प्रति, इत्यादि प्रस्तुत किये गये, जिसमें अशोक कुमार, द्वारकीबाई व मंजुबाई के पिता का नाम रामनारायण दर्ज हो रहा है। वादीगण के वाद पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों व जवाब सरकार का अवलोकन किया गया, बहस वादीगण सुनी गई, जिससे हम वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... वास (कोटा)

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट के जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 12 के खसरा नबंर 523 की 1.40 है0, आराजी में दर्ज खातेदारान अशोक कुमार पुत्र कान्हा, द्वारकीबाई पुत्री कान्हा, व मंजुबाई पुत्री कान्हा तीनों के पिता का नाम कान्हा के स्थान पर रामनारायण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही अशोक कुमार की मृत्यु हो जाने से अशोक कुमार के 1/3 हिस्से पर उसके वारिस वादीगण 01 लगायत 06 क्रमशः ललित कुमार (पुत्र), अंजली (पुत्री), उमादेवी (पुत्री), लक्ष्मीरानी (पुत्री), अनितारानी (पत्नि), के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा द्वारकीबाई के फोत होने पर उसके 1/3 हिस्से पर उसके वारिसान वादीनबंर 06 लगायत 10 क्रमशः हेमन्त राठोर (पुत्र), नवीन राठोर (पुत्र), सुनील राठोर (पुत्र), सोनुबाई (पुत्री), मोनूबाई (पुत्री) के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा वादी नबंर 11 मंजुबाई पुत्री रामनाराण जाति तेली निवासी कनवास को 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

मु.नं. 16/21 जी.सी.एम.एस. 2021/00036 दिनांक 16.04.2021

1. ललित कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति तेली।
2. अंजली पुत्री अशोक कुमार जाति तेली।
3. उमा देवी पुत्री अशोक कुमार जाति तेली।
4. लक्ष्मीरानी पुत्री अशोक कुमार जाति तेली।
5. अनितारानी पत्नि अशोक कुमार जाति तेली निवासीगण कनवास।
6. हेमत राठौर पुत्र मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली।
7. नवीन राठौर पुत्र मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली।
8. सुनील राठैर पुत्र मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली।
9. सोनू बाई पुत्री मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली।
10. मोनूबाई पुत्री मोहनलाल (माता द्वारकीबाई) जाति तेली समस्त निवासीगण कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।
11. मंजूबाई पुत्री रामनारायण (पत्नि चतुर्भुज)जाति तेली निवासी कनवास हाल निवास चेचट तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट इन्द्राज दुरुस्त किये जाने नाम बाबत

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

मुकदमा नं. 16/21 सन् 2021 तारीख फैसला 16.04.2021 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी वादीगण एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट के जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 12 के खसरा नबंर 523 की 1.40 है0, आराजी में दर्ज खातेदारान अशोक कुमार पुत्र कान्हा, द्वारकीबाई पुत्री कान्हा, व मंजुबाई पुत्री कान्हा तीनों के पिता का नाम कान्हा के स्थान पर रामनारायण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही अशोक कुमार की मृत्यु हो जाने से अशोक

उपखण्ड अधि...
कनवास जिला कोटा (राज0)

कुमार के 1/3 हिस्से पर उसके वारिस वादीगण 01 लगायत 06 क्रमशः ललित कुमार (पुत्र), अंजली (पुत्री), उमादेवी (पुत्री), लक्ष्मीरानी (पुत्री), अनितारानी (पत्नि), के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा द्वारकीवाई के फोत होने पर उसके 1/3 हिस्से पर उसके वारिसान वादीनवंर 06 लगायत 10 क्रमशः हेमन्त राठोर (पुत्र), नवीन राठोर (पुत्र), सुनील राठोर (पुत्र), सोनुवाई (पुत्री), मोनूबाई (पुत्री) के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा वादी नवंर 11 मंजुवाई पुत्री रामनाराण जाति तेली निवासी कनवास को 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .. . X ..को अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.04.2021** माह अप्रेल **2021** को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)